पत्रांक–डी0डी0–1–विविध–13/2025–26 (पार्ट–I) ....

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, भागलपुर/सीतामढ़ी/सिवान/गोपालगंज/दानापुर
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांकः–.......................

विषयः– कारा में जीर्ण–शीर्ण संरचनाओं के निस्तारीकरण के संबंध में।

प्रसंगः– सहायक कारा महानिरीक्षक (मु0) कारा एवं सुधार सेवाए, बिहार, पटना का पत्रांक 4951 दिनांक 27.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि कारा में जीर्ण–शीर्ण संरचनाओं के निस्तारीकरण हेतु निदेश प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि संबंधित कार्यपालक अभियंता, कारा अधीक्षकों से समन्वय स्थापित कर जीर्ण–शीर्ण संरचनाओं का निस्तारीकरण कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 6040 (अ) दिनांक– 03/7/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.7.26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

पत्रांक--कारा / भवन--48 / 2024(खण्ड)....4951

बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

सहायक कारा महानिरीक्षक (मु0)
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना

सेवा में,

अधीक्षक
शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर,
विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर, महिला मंडल कारा, भागलपुर,
मंडल कारा, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज एवं उपकारा, दानापुर।

पटना, दिनांक-- 27/5/2026

विषयः--कारा में जीर्ण--शीर्ण संरचनाओं के निस्तारीकरण के संबंध में।
प्रसंग-- विभागीय ज्ञापांक--4826 दिनांक--25.05.2025
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक--12.05.2026 को महा[illegible] कारा एवं सुधार सेवाएँ की अध्यक्षता में राज्य की काराओं में सुधारात्मक कार्यक्रमों को [illegible] करने हेतु आहूत समीक्षा बैठक की कार्यवाही विभागीय ज्ञापांक--4826 दिनांक--25.05[illegible] [illegible] है (छायाप्रति संलग्न)।

2. बैठक में जेल भवनों के निर्माण / मरम्मति के संबंध में समीक्षा किया [illegible] समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आपके कारा में जर्जर भवनों का निस्तारीकरण का कार्य [illegible] नहीं हुआ है। निस्तारीकरण के कार्य को उच्च प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु [illegible] अधीक्षक एवं कार्यपालक अभियंता को पत्र प्रेषित करने का निदेश प्राप्त है।

3. उक्त के आलोक में निदेश है कि कारा में जीर्ण--शीर्ण संरचनाओं के निस्तारीकरण हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से संपर्क स्थापित कर निस्तारीकरण [illegible] पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नकः--यथोक्त

विश्वासभाजन

सहायक कारा महानिरीक्षक (मु0)
कारा एवं सुधार [illegible]
बिहार, [illegible]

ज्ञापांक--कारा / भवन--48 / 2024 (खण्ड) 4951 पटना दिनांक-- 27/5/ 2026
प्रतिलिपि--संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं [illegible] कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक कारा महानिरीक्षक (मु0)
कारा एवं सुधार [illegible]
बिहार, [illegible]